226, ①

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:भूप्रआ/समु/भूकर/11/8/1/85/पार्ट-III/ ९५५ दिनांक: 28-3-2001

- प रि प त्र -

प्राय: यह देखने में आया है कि वर्तमान में भू-प्रबन्ध में कार्यरत फील्ड स्टाफ द्वारा विभागीय कार्य करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनदेखी करते हुए सर्वेक्षण/तरमीम एवं भू-अभिलेख तैयारी का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। जिससे हाल नक्शों में अनावश्यक रूप से सैकड़ों बटा नम्बर डाले जा रहे हैं। चांदाबंदी व प्लाटिंग में भी पर्याप्त सतर्कता नहीं बर्ती जा रही है। यही कारण है कि बनाये जा रहे भू-अभिलेख विश्वसनियता खो रहे हैं।

अत: विभिन्न कार्यों को क्रमबद्ध रूप से सम्पादित करने हेतु अधोलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) ग्राम की सीमा-भ्रमण/चांदा तलाशी एवं कायमी।
(यदि सर्वेक्षण ट्रावर्स से न होकर मुतलस बंदी के तहत किया जाता है तो सीमा भ्रमण के पश्चात् सेन्टर-पाइन्ट कायम कर मार्जन सही स्थिति में निकालना।
पूर्व में सर्वे शुदा ग्राम की सीमा पर कायम किये गये चांदे व सीमा के पत्थर (सहदा, चौहद्दा, तुदा आदि) को ही सीमावर्ती ग्रामों की सर्वे करते समय काममेंलिया जाकर ही सर्वेक्षण कार्य किया जाए।

(2) सर्वेक्षण/तरमीम कार्य एवं प्लाटिंग कार्य मय लिस्तन्दाजी करना।

(3) मौके पर साबिक हाल का मिलान करते हुए नम्बर अन्दाजी करना एवं सीमा मिलान करना।

(4) बिन्दु संख्या-3 की कार्यवाही के पश्चात् ही शीट पुख्तगी करना।

(5) यदि अजसरेनो सर्वे है तो पूर्वानुसार रकबा बरारी का कार्य करना।

(6) तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल निम्नांकित प्रोफार्मा में तैयार करना-

गत			हाल		
खसरा नं.	क्षेत्रफल	खाता नं.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खाता नम्बर

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
भूमापक	निरीक्षक	स. भू प्र. अधि	स. मु.	भू. प्र. अधि.

(7) अन्तिम राजस्व जमाबन्दी से खसरा लेखन तैयार करना।

(8) निरीक्षक एवं सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खसरे की शतप्रतिशत जांच करना।

(9) खसरा तस्दीक करना।

(10) खसरा गश्त गिरदावरी करना।

(11) खसरे का तफ्वार गोश्वारा लगाकर राजस्व जमाबन्दी से मिलान करते हुए कुल देह टकराना।

--2

227

§12§ तहरीज व समायोजन सारणी तैयारी व मुख्यावास से अनुमोदन कराना।

§13§ चकतराशी ट्रेस एवं तत्सम्बन्धी पत्रादि तैयार करना।

§14§ मौके पर चकतराशी कार्य करना।

§15§ चकतराशी कार्य की सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा शतप्रतिशत जांच करना।

§16§ चकतराशी ट्रेस में से खसरे में किस्म जमीन अंकित करना व मुकाबला।

§17§ खसरे से पर्चा खतौनी प्रथम प्रति तैयारी मय मुकाबला।

§18§ अन्तिम राजस्व जमाबन्दी से पर्चा खतौनी प्रथम प्रति की जांच शतप्रतिशत करना।

§19§ पर्चा खतौनी प्रथम प्रति से द्वितीय एवं तृतीय प्रति तैयारी मय मुकाबला।

§20§ निरीक्षक व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पर्चा खतौनी की शतप्रतिशत जांच करना।

§21§ खसरे से पर्चा खतौनी में किस्म जमीन दर्ज करना मय पर्चावार किस्म जमीन का गोश्वारा छांटना व मुकाबला।

§22§ खसरे से टायंन तैयारी मय मुकाबला।

§23§ पर्चा खतौनी से खातेदार तहरीज तैयारी मय मुकाबला।

§24§ तहरीज व टायंन का मुकाबला।

§25§ तहरीज से पर्चा खतौनी में लगान दर्ज करना मय मुकाबला।

§26§ पर्चा खतौनी वितरण।

§27§ पर्चा तस्दीक करना।

§28§ सफाई जमाबन्दी तैयारी मय मुकाबला व जांच।

अतः ऊपर वर्णित क्रमवार से कार्य सम्पादित कराया जावे।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-समसंख्यक/ दिनांक:-

प्रतिलिपि:-भू-प्रबन्ध अधिकारी-जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, सीकर, कोटा, अलवर, भरतपुर, सिरोही।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

राजेन्द्र/